



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 239 राँची, बुधवार,

26 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-130/2018-19743 (HRMS)--श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक 832/03, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु के विरुद्ध माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची के समक्ष दायर परिवाद सं०-01/लोक (राजस्व)-10/2014 में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 18.09.2018 को पारित आदेश के आलोक में उपायुक्त, राँची के पत्रांक-05(i), दिनांक 05.02.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप-

(i) श्री आलोक कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु अंचल में पदस्थापित रहने के दौरान श्रीमती दुरो देवी, पति-श्री रमेश चन्द्र महतो के पक्ष में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने, आवेदिका तथा उनके पति के नाम से पूर्व से ही जमीन के जमाबंदी होने के बावजूद तथ्य छिपाकर भूमिहीन रैयत बताने एवं आवेदिका के पति की आय के अन्य स्रोत को छिपाकर भूमि की बंदोबस्ती की अनुशंसा करने का दोषी पाया गया है। श्री कुमार का उक्त कृत्य एक सरकारी सेवक

के लिए निर्धारित आचरण के विपरीत आचरण को स्पष्ट करता है। इसकी अपेक्षा एक सरकारी सेवक से नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में श्री कुमार का उक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या दोषी है। (ii) श्री कुमार का उक्त आचरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1616(hrms), दिनांक 04.04.2019 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-271, दिनांक 05.11.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि आवेदिका के पक्ष में भूमि की बंदोबस्ती की अनुशंसा करने में मूल रूप से हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ही दोषी प्रतीत होते हैं, किन्तु आरोपी के द्वारा भी अनुशंसा की गयी। इसलिये आरोपी भी इसके लिये जिम्मेवार प्रतीत होते हैं। अतः आरोपी के विरुद्ध आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1115(9)/रा०, दिनांक 01.04.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-5749, दिनांक 13.09.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-1637/अभि०, दिनांक 30.09.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्य समर्पित किया गया-

(i) विभागीय संकल्प संख्या-1616(hrms), दिनांक 04.04.2019 द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये दो (02) गलत आरोपों के संदर्भ में उनके बचाव बयान को तत्कालीन अपर समाहर्ता-सह-उपस्थापन पदाधिकारी, राँची ने संतोषजनक पाया है।

(ii) संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-271 दिनांक 05.11.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के "अंतिम निष्कर्ष" चूँकि आरोपी के द्वारा जान-बूझकर गलत अनुशंसा नहीं की गई, इसलिए उन्हें सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण का दोषी मानना उचित नहीं प्रतीत होता है।" अतः दोष मुक्त कर दिया गया है।

(iii) विषयगत मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(C) No. 1124/2019 लंबित है। अतः किसी प्रकार की पूर्वाग्रह से "पीड़क कारवाई" "Prejudiced" तथा अनुचित होगा।

(iv) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, विभाग के पत्रांक-4563/रा०, दिनांक 08.11.2018 तथा माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा परिवाद संख्या-01/लोक (राजस्व) 09/2015, दिनांक 05.09.2018 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि "अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश मुख्यतः राजस्व कर्मचारी (अब उप-निरीक्षक) एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर

होता है। उनमें मूल भूमिका इनकी होती है।" विषयगत मामले में तो बंदोबस्ती स्वीकृति आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा दी गई है तथा हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, भू०सु० उपसमाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू के विरुद्ध कोई कारवाई न कर, केवल उनके विरुद्ध ही किया गया है, जो कतई उचित नहीं है।

जब अपर समाहर्ता-सह-उपस्थापन पदाधिकारी, राँची के मंतव्य तथा संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के अंतिम निष्कर्ष के आलोक में उन्हें सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) (ii) एवं (iii) में आरोप मुक्त किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में किसी तरह का पीड़क कारवाई अथवा प्रस्तावित लघु दण्ड उचित नहीं जान पड़ता है। पूर्व में भी उनके पक्ष को समझे बिना संकल्प सं०-1756(hrms), दिनांक 15.04.2019 द्वारा दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक लगा दिया गया, जिसके विरुद्ध उन्होंने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्याय की भीख मांगी है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है (इस संबंध में उनका अभी भी कट्टर दावा है कि मूल अभिलेखों में उनका कहीं भी लिखावट व हस्ताक्षर नहीं है और न ही उनके पदस्थापन समय का ही है।)

(v) प्रश्नगत मामला उनके विरुद्ध "Politically motivated" है, श्री अमित महतो, पूर्व विधायक, सिल्ली, को दो (02) साल सजा दिलवाने की वजह से। अतः उनके द्वारा समर्पित तथ्यों के आलोक में पुनर्विचार करते हुए विभागीय जाँच पदाधिकारी के अंतिम findings (Second last paragraph) के आधार पर आरोप मुक्त करते हुए इस विषय को संचिकास्त की जाए।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया है, जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप के बिन्दु आवेदिका के पक्ष में भूमि की बंदोबस्ती की अनुशंसा करने के लिये हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के साथ-साथ आरोपी को भी जिम्मेवार बताया है तथा आरोप को आंशिक रूप से सही प्रतिवेदित किया गया है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा विषयगत मामला में दायर WP(S) No-1124/2019 के आलोक में पीड़क कारवाई नहीं करने का अनुरोध किया है। जबकि उक्त वाद में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के पीड़क कारवाई पर रोक नहीं लगायी गयी है। आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण से भी यह सम्पुष्ट नहीं होता है कि माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी पीड़क कारवाई पर रोक लगायी गयी है।

वर्ष 2005 में ही आवेदिका के पति की नियुक्ति झारखण्ड पुलिस में हो गयी थी। फलस्वरूप विभागीय परिपत्र अनुसार आवेदिका बंदोबस्ती हेतु सुयोग्य श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं, फिर भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा आवेदिका के पक्ष में भूमि की बंदोबस्ती की अनुशंसा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, श्री आलोक कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALOK KUMAR JHK/JAS/06	श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 832/03, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु संप्रति-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
